हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तेरहवां सत्र

वीरवार, 19 नवम्बर, 2026/28 कार्तिक, 1948(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. शून्यकाल:

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे:

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 16);

(2) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 17);

(3) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 19); और

(4) हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 20)।

5. नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

6. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल-I, दिनांक द्वारा 16.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.07.2026 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल्यूम-II, दिनांक द्वारा 20.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 26.08.2026 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 (1998 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 17) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: टीएएल-एलओएलएफ 01/14/1/2023-136611-लूज़, दिनांक द्वारा 04.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 04.06.2026 को प्रकाशित; और

(iv) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखें, वर्ष 2021-22 और 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पीर निगाह मन्दिर, तहसील एवं जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या:एल.सी.डी.-बी (15)-13/2026, दिनांक द्वारा 14.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या:ई.डी.एन-बी-बी (16)-9/2021, दिनांक द्वारा 07.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24; और

(ii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24।

(5) **श्री यादविन्दर गोमा, आयुष मन्त्री,** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

7. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **53वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत **जल शक्ति विभाग** द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **54वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रदेश सरकार तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को आबंटित धनराशि के आय/व्यय के ब्यौरे की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **55वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **"मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना"** की संवीक्षा पर आधारित है; और

(4) समिति का **56वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **22वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25 में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **"स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना"** की संवीक्षा पर आधारित है।

(2) श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का **38वां कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि **माँग संख्या:9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित **समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

8. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का 18वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

9. विधायी कार्य:

<u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(2) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने हेतु वैधानिक ढांचा उपबंधित करने, विनिर्दिष्ट भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भूतलक्षी संशोधन करने, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों एवं पारिणामिक सेवा मामलों की समीक्षा करने, तथा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत कतिपय पूर्व कार्रवाईयों एवं कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 27)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(4) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में राज्य की महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सांविधिक मान्यता, देखरेख, संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, आश्रय, अवसंरचना और समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 29)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(5) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत् एवं हरित औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करना, जिसके लिए निवेशकों को उनके द्वार पर सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना, भूमि बैंक का सृजन एवं प्रबंधन करना, नीतिगत ढांचा तैयार करना, व्यवसाय सुधार संबंधी ढांचे को सुदृढ़ करना, सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का विकास करना, निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 17)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(6) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 18)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(7) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि जीवन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन में और वृद्धि करने, अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 21)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(8) श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 24)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(9) श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 25)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(10) श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 23)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(11) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 22)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(12) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 28)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(13) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 26)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

10. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 18 नवम्बर, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'सकंल्प'

तेरहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2026 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

1. दिनांक 27 अगस्त, 2026 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा जारी रहेगी।	
सदस्य का नाम	**उद्धरण**
श्री कुलदीप सिंह राठौर	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने की नीति बनाने पर विचार करे।

2. नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्य दिवस हेतु स्वीकृत संकल्प		
क्र सं	**सदस्य का नाम**	**उद्धरण**
(i)	**श्री जीत राम कटवाल**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में अवैध खनन रोकने तथा दुष्प्रभावों के निस्तारण करने की नीति बनाने पर विचार करें।
(ii)	**डॉ0 जनक राज**	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि वर्तमान समय और जरूरतों के आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर विचार करें।

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

****